कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ0ग0)

//निविदा सूचना//

क्रमांक 984/लोक/नि0–2018–19 राजनांदगांव दिनांक 01/09/18

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को स्वीमिंग पूल संचालन कार्य हेतु कर्मचारियों/श्रमिकों की आवश्यकता है। एकीकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार एवं शासन के अन्य विभाग एवं शासकीय उपक्रम में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों एवं प्लेस्मेंट एजेंसी से फार्म "बी" निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमाकर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट से सीधे निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेगें।

1 निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- 22/09/2018 शाम 5.00 बजे तक

2 प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि :- 24/09/2018 को संध्या 4.30 बजे कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाखो में)	अमानति राशि	निविदा प्रपत्र मुल्य	निविदा प्रपत्र	
1	स्वीमिंग पूल संचालन हेतु कर्मचारी/श्रमिक प्रदाय कार्य।	4.05	5000.00	750.00	फार्म B	

शर्तें:–

1 सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

2 अमानत राशि का एफ.डी.आर. निविदा के साथ संलग्न करना एवं लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा।

3 निविदा में भाग लेने से इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने आवेदन में कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। काट छांट उपलेखन मान्य नही किये जावेगे। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा कराने उपरांत ही आवेदन संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा।

4 दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित करना होगा। कांट छांट उपलेखन मान्य नही किये जावेगे।

5 ठेकेदार को आवेदन के साथ निविदा राशि के बराबर किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय विभाग में श्रमिक प्रदाय कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश प्रस्तुत करना होगा।

6 नियम व शर्तो की जानकारी कार्यालयीन अवधि में देखी/प्राप्त की जा सकती है।

7 आहुत की गई निविदा तिथियों को किसी कारणवश अवकाश घोषित होते है तो निविदा कार्यवाही अग्रीम कार्य दिवस में सपन्न किये जायेगें। इसके लिये पृथक से सूचना जारी नही किये जायेगें।

8 छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 243/वि.नि./चार/2013 नया रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा।

9 सफल निविदाकार को तीन दिवस के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।

10 छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक एफ 4–11/2015/18 नया रायपुर दिनांक 18.11.2015 के निर्देशानुसार राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा।

11 किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

12 अनुमानित राशि एवं समयावृद्धि में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है।

13 राशि उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जावेगा।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

पृ.क्रमांक 985 /लोक/ नि0–2018–19 राजनांदगांव दिनांक 09/09 18

1 माननीय महापौर/अध्यक्ष नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सादर सूचनार्थ।

2 प्रभारी सदस्य,लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

3 कार्यालय ——————————— नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

4 डाटा सेंटर प्रभारी, विभागीय वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ0ग0)

// श्रमनियोजकों से दर आमंत्रण सूचना के लिये नियम एवं शर्ते //

1. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।
2. अमानत राशि का एफ.डी.आर. निविदा के साथ संलग्न करना एवं लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा।
3. आहुत की गई निविदा तिथियों को किसी कारणवश अवकाश घोषित होते है तो निविदा कार्यवाही अग्रीम कार्य दिवस में सपन्न किये जायेगें। इसके लिये पृथक से सूचना जारी नही किये जायेगें।
4. छत्तीसगढ़ शासन के पत्र कमांक 243/वि.नि./चार/2013 नया रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा।
5. सफल निविदाकार को तीन दिवस के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
6. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश कमांक एफ 4–11/2015/18 नया रायपुर दिनांक 18.11.2015 के निर्देशानुसार राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
8. अनुमानित राशि एवं समयावृद्धि में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है।
9. राशि उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
10. निविदाकारों/ठेकादार को श्रम विभाग में कम से कम 150 श्रमिकों का पंजीयन अनिवार्य होगा।
11. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी। निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि निविदादाता को समस्त नियम एवं शर्ते स्वीकार है।
12. जिसकी निविदा स्वीकृत की जावेगी उसे नगर निगम से अनुबंध करना होगा। जिसके व्यय का वहन ठेकेदार करेगा।
13. निविदादाता के दर की स्वीकृति के पश्चात नियोजित समस्त ठेका श्रमिको का बीमा निविदादाता को स्वयं के व्यय से करना होगा।
14. किसी भी कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर नगर निगम की जवाबदारी नहीं होगी और न ही नियोजक को इसके लिये किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि दी जावेगी।
15. श्रमिको का परिश्रमिक नगर निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रभावशील कलेक्टर दर से या (श्रम विभाग द्वारा समय समय पर परिवर्तित दर अनुसार) के आधार पर प्राप्त स्वीकृत निविदा दर के प्रतिशत दर आधार पर देय होगा।
16. ठेके के दी गई समयावधि में कोई ऐसे तथ्य होते है जिसका उल्लेख उपरोक्त शर्त में नही है तो उसका विनिश्चय का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव का होगा। जिसे मानना ठेकेदार को बंधनकारी होगा।
17. श्रमिको का दर समस्त कर सहित प्रस्तुत करना होगा किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
18. आवश्यकतानुसार श्रमिको में कमी/वृद्धि की जा सकती है।

19. निविदा मे आवश्यकता अनुसार समयावृद्धि करने का अधिकार आयुक्त, नगर निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

20. निविदाकार को दर श्रमिकों के निर्धारित ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. सहित प्रस्तुत करना होगा।

21. श्रमिक का भुगतान योग्यता अनुसार (उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल) के आधार पर किया जावेगा।

22. ठेकेदार को आवेदन के साथ निविदा राशि के बराबर किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय विभाग में श्रमिक प्रदाय कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश प्रस्तुत करना होगा।

23. निविदाकार द्वारा नियुक्त श्रमिकों को अनुशासन बनाकर कार्य करना होगा, यदि किसी कर्मचारी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित अधिकारी द्वारा सूचित करने पर 24 घंटे के अंदर इसे हटाकर अन्य कर्मचारी नियुक्त करना होगा।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,राजनांदगांव